कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

ccfkanker3@gmail.com (07868) 222014 (07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./2020/6482 कांकेर, दिनांक/14/10/2020

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
केशकाल वनमंडल
केशकाल

विषयः— **Diversion of Forest land for non-forest Purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for BharatNet Phase-II Keshkal Division "BharatNet Project which is a GOI initiative, Under this project , connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 Km.The laying of Optical Fiber cable of 32,466 Km Will be involve 26 Districts across the State" Area - 14.772 ha.**

संदर्भः— आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./7439 दिनांक 30.09.2020

विषयांकित संदर्भ में लेख है कि कोण्डागांव जिले के केशकाल वनमंडल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन रायपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारतनेट परियोजना अंतर्गत ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु कुल रकबा 14.772 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव आवेदक संस्थान से प्राप्त कर आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय प्रेषित किया गया है, प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत निम्न बिन्दुओं पर कमियॉ पाई गई है : –

1. Form-A, Part-I के B.2 में वन भूमि का रकबा 14.772 हे. तथा गैर वन भूमि 14.371 हे. इस प्रकार प्रकरण में कुल प्रभावित रकबा 29.143 हे. होता है, किन्तु पंजीयन 14.772 हे. का ही कराया गया है, जो उचित नहीं है।
2. प्रभावित भूमि का के.एम.एल फाईल में ओ.एफ.सी. लाईन का डी.जी.पी.एस. पाईन्ट दर्शित नहीं है और न ही ओ.एफ.सी. लाईन को सही तारीके से अंकित किया गया है, जिसके कारण व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं हो रहा है।
3. वन अधिकार अधिनियम के तहत गैर वन भूमि से संबंधित कलेक्टर का प्रमाण पत्र वेबसाईड पर अपलोड नहीं किया गया है।
4. वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र–3 में मात्र वन/राजस्व वन भूमि का ही इन्द्राज किया है जबकि परियोजना के तहत गैर वन भूमि 14.371 हे. प्रस्तावित है।
5. भाग–2 के बिन्दु 1 के उप बिन्दु (vi) में घनत्व के साथ साईट क्वालिटी दर्ज नहीं किया गया है।
6. चेकलिस्ट के कण्डिका क्रमांक–4 में गैर वन क्षेत्र का ग्रामवार, खसरावार, रकबावार उल्लेख नहीं है और न ही संबंधित प्रस्तावित क्षेत्र का पांचशाला खसरा व नक्शा संलग्न नहीं है तथा अपलोड नहीं किया गया है।
7. चेकलिस्ट के कण्डिका क्रमांक–6 में प्रस्तावित क्षेत्रों का इण्डैक्स मैप के स्थान पर वन आवरण का मानचित्र मापमान 1:50000 को संलग्न किया गया है, जबकि संदर्भित पत्र में प्रभावित वन क्षेत्र का 1:15000 स्केल का मानचित्र संलग्न होना बताया गया है। इनडेक्स मैप 1:15000 का टोपोशीट ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।
8. चेकलिस्ट के कण्डिका क्रमांक–7 के फार्म - IV के बिन्दु क्रमांक 3 में गैर वन भूमि का रकबा उल्लेख नहीं है।

9. प्रस्ताव में ओ.एफ.सी. लाईन किस ग्राम से किस ग्राम तक जावेगी का उल्लेख नहीं किया गया हैं।

10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1065 दिनांक 5.4.2018 के निर्देशानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति लेने बाबत् प्रस्ताव के साथ चेकलिस्ट का वांछित दस्तावेज संक्षेपिका संलग्न नही है।

11. छ.ग. शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 5–8/2020/10–2 दिनांक 21.9.2020 के निर्देशानुसार आवेदित वन क्षेत्र का विवरण निर्धारित प्रपत्र में संलग्न नहीं है।

12. वन भूमि में गैर वानिकी कार्य किये जाने के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं है।

13. खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति का अनुमोदित कार्यवाही विवरण संलग्न नही है।

अतः प्रकरण में पाई गई उपरोक्त बिन्दुओं की कमियों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव मूलतः वापस की जा रही है। कमियों की पूर्ति कर पुनरीक्षित प्रस्ताव अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करे, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :– **प्रस्ताव मूलतः 4 प्रतियों में।**

मुख्य वन संरक्षक,
कांकेर वृत्त, कांकेर

पृ. क्रमांक/मा.चि./2020/6483 **कांकेर, दिनांक/14/10/2020**

प्रतिलिपि :– मुख्य कार्यपाल अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) सिविल लाईन रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित। प्रकरण में पाई गई कमियों की पूर्ति कराकर पुनरीक्षित प्रस्ताव वनमंडलाधिकारी केशकाल के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करें।

मुख्य वन संरक्षक,
कांकेर वृत्त, कांकेर